राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 688/2023

रजनीश वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं–सह–अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के.सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा निदेशालय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरबा, अजमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.12.2021 के द्वारा उसे वर्तमान पद पर पदोन्नत किया गया और पदोन्नति से पूर्व वह वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय अधीक्षक जे.एल.एन. चिकित्सालय, अजमेर में कार्यरत था। आदेश दिनांक 14.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 22.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को सी.एम. एच.ओ. द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कोई

रिक्त पद नहीं है और आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में दर्शाते हुए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरबा, जिला अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को किसी भी आदेश के तहत आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया। इस प्रकार यह आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किए जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 एवं आदेश दिनांक 12.11.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर में कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण ए.पी.ओ. निदेशालय से पी.एच.सी., खरबा, अजमेर किया गया है जबकि अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा ही नहीं गया है। इससे हमारे विनम्र मत में यह स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 बिना विवेक का प्रयोग किए जारी किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी के प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के

सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 एवं आदेश दिनांक 12.11.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य